



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082023-248293
CG-DL-E-24082023-248293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3622]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2023/भाद्र 2, 1945

No. 3622]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2023/BHADRA 2, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

का.आ. 3782(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया', (PAN AAAGU0182Q), भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण, को उस प्राधिकरण से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी;
- (ख) आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, स्कैप की बिक्री, पीवीसी कार्ड आदि सहित शुल्क/अंशदान;
- (ग) प्रमाणीकरण, नामांकन और अद्यतन सेवा से प्राप्त प्रभार;
- (घ) सावधि/नियत जमा; और
- (ङ) उक्त (क) से (घ) के संबंध में अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्न के अध्यक्षीन प्रभावी होगी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया-

- (क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलापों और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल की जाएगी।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 के संबंध में लागू मानी जाएगी और क्रमशः वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 68/2023/ फा. सं. 300196/37/2018-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक, (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2023

S.O. 3782(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Unique Identification Authority of India' (PAN AAAGU0182Q), a statutory Authority established under the provisions of the AADHAAR Act, 2016 by the Govt. of India, in respect of the following specified income arising to the said Authority, as follows:

- (a) Grants/Subsidies received from Central Government;
- (b) Fees/ Subscriptions including RTI Fee, Tender Fee, Sale of Scrap, PVC card, etc;
- (c) Authentication, Enrolment and Updation service charges received;
- (d) Term/Fixed Deposits; and
- (e) Interest earned on (a) to (d) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Unique Identification Authority of India -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020 to 2023-2024 relevant for the financial years 2018-2019 to 2022-2023 respectively.

[Notification No. 68/2023/ F. No. 300196/37/2018-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.